

**राजस्थान विधान सभा**  
**प्रथम सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**मंगलवार, दिनांक 6 जनवरी, 2009**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनायें**

1- श्री शांती कुमार धारीवाल, उद्योग मंत्री आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.11(32)एफडी/एक्स/05 दिनांक 27 अगस्त, 2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.11(32)एफडी/एक्स/05 दिनांक 10.7.2007 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एफडी/एक्स/05 दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.1(2)एफडी/एक्स/05 दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.1(2)एफडी/एक्स/05 दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 जिसके द्वारा राज्य सेवा में पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाले थानाधिकारियों को नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रिक सब्स्टेन्स एक्स, 1985 के अन्तर्गत अपराधों की जाँच हेतु अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

2- श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.9(42)रेव-6/08/18 दिनांक 29.7.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम, 1963 में संशोधन किये गये हैं ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.9(101)रेव-6/2008/20 दिनांक 17.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण), नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

3- श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(16)लीगल/एएम/रूल्स/पीआर/2008/3136 दिनांक 12.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)लीगल/एएम/ईई/पीआर/2008/3101 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.4(12)पीआरडी/लीगल/रूल/एमेन्ड/08/2362 दिनांक 25 जून,2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (चुनाव ) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)लीगल/एएम/ईई/पीआर/2008/2691 दिनांक 8.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.4(13)पीआरडी/लॉ/रूल/एमेन्ड/07/1301 दिनांक 4.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (चुनाव ) नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.4(34)पीआरडी/लॉ/सैक/सर्विस-रूल/एमेन्ड /07/1391 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.4(14) लीगल/ एमेन्ड/ ईई/ पीआर/ जेडएनपी/ 2008/1519 दिनांक 25.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 विरचित किये गये हैं ।

4- श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(62)परि/कर/मु0/08 दिनांक 18.7.2008 जिसके द्वारा माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, बड़मेरा, भरतपुर के वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(260)परि/कर/मु0/05 दिनांक 18.7.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(260)परि/कर/मु0/05 दिनांक 23.4.2008 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.6(97)परि/कर/मु0/08 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा डबल डेकर वाहन आर.जे.1-पी-2412 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ;

- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)परि/कर/मु0/08 दिनांक 30.8.2008 जिसके द्वारा रामदेवरा मेले में आने-जाने वाली यात्री वाहनों के कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.6(208)परि/कर/मु0/08 दिनांक 2.12.2008 जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटोरिक्शा एवं मोटर कैब के कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.7(3)परि/रूल्स/एचक्यू/1995 दिनांक 4.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 विरचित किये गये हैं ;

### (ख) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, उद्योग मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ;
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ।

### 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

- (1 डॉ० रघु शर्मा(वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

- (2) श्री अलाउद्दीन आजाद (वि.सं.-13), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे ।

( संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे )

एच.आर.कुडी  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 03 जनवरी, 2009